बहुवर्षीय टैरिफ नियन्त्रणावधि वि.व. 2010–14 के अन्तर्गत वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन तथा विव 2010–11 के लिए टैरिफ विनिर्धारण हेतु याचिका

तथा

वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अन्तर्गत विव 2008–09 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का ट्रयू–अप

मुख्य मूल पाठ तथा आरूप

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़

विद्युत भवन, जयपुर

जनवरी, 2010

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

दायरीकरण सं. राविविआ–

प्रकरण सं. ....

के विषय में,

राविविआ टैरिफ विनियम 2009 के अन्तर्गत विवि 10 से विव 14 तक की नियन्त्रणावधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ विनिर्धारण तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा वार्षिक निष्पादन समीक्षा के रूप में विव 2008–09 के लिए वाराआ के ट्रयूइंग– अप के अनुमोदनार्थ लिए याचिका

याचिकाकर्त्ता	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ विद्युत भवन, जनपथ जयपुर– 302005
प्रतिवादी	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ विद्युत भवन, जनपथ जयपुर– 302005
	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ पावर हाउस, हाथी भाटा अजमेर।
	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ न्यू पावर हाउस, जोधपुर।

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	वार्षिक निष्पादन की समीक्षा	10
	पृष्ठ भूमि	10
	विव 09 के लिए वाराआ का ट्रयूइग–अप	
	विव 09 के लिए प्रसारण के लिए ट्रयूइग–अप वाराआ	11.12
	विव 09 के लिए राभाप्रेके प्रकार्यों के लिए ट्रयूइग–अप वाराआ	
	विव 09 के लिए साझेदारी परियोजनाओं के लिए उत्पादन लागत का ट्रयूइग–अप	
	अनुमोदित तथा वास्तविक में विचलनों का सारांश	
	प्रार्थना	
अ 2:	विव 2010–11 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता	
अ 2:	भाग – ⌐–प्रसारण तथा खुले अभिगमन हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ	14
	राविप्रनि प्रसारण तन्त्र द्वारा संचालित क्षमता	14
	राराविप्रनिलि तन्त्र में प्रसारण हानि	14.15
	राविप्रनि प्रसारण निवेश व वित्त – पोषण योजना	15
	प.एवं. सं. व्यय	15.16
	ह्रास प्रभार	16
	उपादान तथा पेंशन के प्रति अतिरिक्त अंशदान	17
	ब्याज एवं वित्त प्रभार	18
	अन्य व्यय	18
	साम्या पर प्रतिफल	18 . 19
	खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से राजस्व	19
	गैर – टैरिफ आय	19
	प्रसारण के लिए राजस्व आवश्यकता	19 दृ 20
	उपलब्धता आधारित प्रोत्साहन	20
	विव 11 के लिए प्रसारण व्ययों की वसूली	21
	विद्युत विनिमय संव्यवहारों के लिए प्रसारण प्रभार	22

अ 3:	भाग – ॰ विव 11 के लिए राभाप्रेके प्रभारों की वसूली	24
	राभाप्रेके निवेश तथा वित्त पोषण योजना	24
	प एवं. सं. व्यय	24
	ह्रास प्रभार	24. 25
	ब्याज प्रभार	25
	राभाप्रेके परिचालन व्यय	25
	साम्या पर प्रतिफल	25
	राभाप्रेके राजस्व आवश्यकता	25. 26
	राभाप्रेके व्ययों की वसूली	26
	अभिक्रियाशील ऊर्जा व्ययों के लिए प्रभार/भुगतान	27
	प्रार्थना	27
अ 4:	भाग– ॰ साझेदारी परियोजनाओं के उत्पादन व्ययों की वसूली	29
	साझेदारी परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता में राजस्थान का हिस्सा	29
	साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा उपलब्धता	29. 30
	साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा विक्रय	30
	अन्य राज्य तथा साझा पूल	30
	डिस्कॉमों को नियतन	30. 31
	साझेदारी परियोजना निवेश तथा वित्त पोषण योजना	31
	साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा विक्रय से राजस्व	31.32
	साझेदारी परियोजनाओं के व्ययों की वसूली	33
	प्रार्थना	33
अ 3:	अनुलग्नकों की सूची	

सारणियों की सूची

सारणी–1	प्रसारण व्यवसाय की विव 09 की वाराआ के ट्रयूइग –अप हेतु प्रस्ताव	14
सारणी–2	वाराआ के लिए राराविप्रनि कर्मचारी लागत अवयव	15
सारणी–3	विव 09 के लिए राभाप्रेके की वाराआ के ट्रयूइग–अप हेतु प्रस्ताव	15
सारणी–4	विव 2008–09 के लिए साझेदारी परियोजनाओं हेतु व्ययों का ट्रयूइग–अप	16
सारणी–5	राविप्रनि द्वारा संचालित क्षमता (मेवा)	17
सारणी–6	प्रसारण हानियों का प्रेक्षप पथ	17
सारणी–7	निवेश तथा वित्त पोषण योजना	18
सारणी–8	निवल प.एवं.सं. व्यय	18
सारणी–9	ह्रास प्रभार	19
सारणी–10	पेंशन तथा उपादान के लिए अतिरिक्त अंशदान	19
सारणी–11	ब्याज तथा वित्त प्रभारों की विस्तृतियाँ	20
सारणी–12	अन्य व्यय	21
सारणी–13	खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से राजस्व	21
सारणी–14	गैर– टैरिफ आय	22
सारणी–15	प्रसारण हेतु राजस्व आवश्यकता	24
सारणी–16	विव 10 से विव 14 तक प्रसारण प्रभार तथा टैरिफ	24
सारणी–17	विद्युत विनिमय संव्यवहारों के लिए प्रसारण प्रभार	25
सारणी–18	निवेश तथा वित्त पोषण योजना	25
सारणी–19	राभाप्रेके परिचालन एंव संधारण व्यय	25
सारणी–20	ह्रास प्रभार	26
सारणी–21	राभाप्रेके के लिए ब्याज तथा वित्त प्रभारों की विस्तृतियां	26
सारणी–22	राभाप्रेके के परिचालन व्यय	26
सारणी–23	राभाप्रेके के लिए राजस्व आवश्यकता	29
सारणी–24	विव 10 से विव 14 तक राभाप्रेके के प्रभार	30
सारणी–25	साझेदारी परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता में राजस्थान का हिस्सा (मेवा)	30
सारणी–26	राविप्रनि साझेदारी केन्द्रो से उपलब्धता (दस लाख इकाइयां)	31
सारणी–27	अन्य राज्यों तथा साझापूल को विक्रय (दस लाख इकाइयां)	31
सारणी–28	साझेदारी परियोजनाओं से डिस्कॉम – वार ऊर्जा आपूर्ति (दलाइ)	32
सारणी–29	निवेश तथा वित्त पोषण योजना	32
सारणी–30	अन्य राज्यों तथा साझा पूलों को विक्रय से राजस्व	32
सारणी–31	साझेदारी परियोजनाओं के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता	33
सारणी–32	विव11 के लिए साझेदारी परियोजना के व्ययों की वसूली	

टिप्पणियां

इस आवेदन में :

(एन–1) वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष 2008–09 (विव–09 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित है।

(एन) वर्ष चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 (विव–10 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित है।

(एन+1) वर्ष अगले वित्तीय वर्ष 2009–10 (विव–10 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित है।

इस आवेदन में उपयोग में लाए गए सभी मौद्रिक अंक, जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, करोड़ रूपये में हैं।

इस आवेदन में उपयोग में लाए गए सभी ऊर्जा आंकड़े, जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, दस लाख इकाइयों में हैं।

परिभाषायें

अधिनियम	विद्युत अधिनियम, 2003
आवेदन या याचिका	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर का विव 10–14 की बहुवर्षीय टैरिफ के अन्तर्गतयह आवेदन तथा विव 2010–11 के लिए टैरिफ याचिका
लाभग्राही	वह राज्य जिसका अन्तर्राज्यीय उत्पादन केन्द्रो में हिस्सा है।
कैप्टिव विद्युत शक्ति संयन्त्र/ कैविशसं	वह विद्युत शक्ति केन्द्र जो मुख्यतः कैप्टिव मांग को पूरा करने के लिए परिचालित किया जाता है और जो राज्य प्रसारण तन्त्र से संयोजित है।
केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्र (केउके)	केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र वह है जो केन्द्रीय विद्युत शक्ति यूटिलिटियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त तथा संचालित है जैसे एनटीपीसी/एनएचपीसी/ एनपीसीआईएल/पीजीसीआईएल आदि आदि और जिनको शिडयूलिंग को उक्षेभाप्रेके द्वारा समन्वित किया जाना है।
वितरण कम्पनी/ डिस्कॉम	डिस्कॉम या वितरण कम्पनी का अभिप्राय जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनि), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (अविविनि), जोधपुर वितरण निगम लि. (जोविविनि) सहित उस कम्पनी से होगा जो मुख्यतः अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के वितरण तथा आपूर्ति के व्यवसाय में वाग्दत् है।
अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (अ.उ.वो)	33 केवी से उच्चतर वोल्टेज स्तर
उत्तरी क्षेत्र/क्षेत्र	हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर तथा चंडीगढ राज्यों व संध क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले क्षेत्र
विनियम	राविविआ द्वारा 23 जनवरी 2009 को अधिसूचित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम 2009
राज्य	राजस्थान राज्य
राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके)	राविप्रनि का नियन्त्रण कक्ष हीरापुरा (जयपुर) में है जो राज्य प्रसारण तन्त्र के परिचालन के प्रबन्ध तथा राज्य उत्पादन तथा वास्तविक समय आधार पर आहरण को समन्वयन के प्रयोजन से चौबीसों धण्टे संचालित रहता है।

संक्षेपणो की सूची

वाराआ	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
भाब्याप्रम	भाखरा ब्यास प्रबन्धन मण्डल
संवावृद	संयोजित वार्षिक वृद्वि दर
प्रविप्रअ	प्रपूंज विद्युत प्रसारण अनुबन्ध
केविप्रा	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
के.वि.वि.आ	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
केउके	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र
विउस	विद्युत शक्ति संर्वेक्षण
वि.पु.सं.यो	वित्तीय पुनर्सरंचना योजना
वि.व.	वित्तीय वर्ष
वि.व. 08	वित्तीय वर्ष 2007– 08
वि.व. 09	वित्तीय वर्ष 2008 – 09
वि.व. 10	वित्तीय वर्ष 2009 – 10
वि.व. 11	वित्तीय वर्ष 2010 – 11
वि.व. 12	वित्तीय वर्ष 2011 – 12
वि.व. 13	वित्तीय वर्ष 2012 – 13
वि.व. 14	वित्तीय वर्ष 2013 – 14
स.स्था.आ	सकल स्थाई आस्तियां
भा. स	भारत सरकार
रा.स	राजस्थान सरकार
गांसा	गांधी सागर जल विद्युत परियोजना
ग्रिउचौ	ग्रिड उप चौकी
उवो	उच्च वोल्टेज
जयपुर डिस्कॉम	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर डिस्कॉम	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
अजमेर डिस्कॉम	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जसा	जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना
भाप्रे / राभाप्रेके	राज्य भार प्रेषण केन्द्र

लाइ	लाख इकाइयां
द.ला.इ	दस लाख इकाइयां
मेवोए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
मे.वा	मेगावाट
बवटै	बहुवर्षीय टैरिफ
निस्थाआ	निवल स्थाई आस्तियां
उ.क्षे.भा.प्रे.के.	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
खुअ	खुला अधिगमन
पाग्रिकाइलि	पावर ग्रिड कारर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
सं.भा.ध	संयन्त्र भार धटक
वि.क्र.अ	विद्युत क्रय अनुबन्ध
विवि	विद्युत विनिमय
म.एवं.सं.	मरम्मत एवं संधारण
रा.वि.वि.आ/ आयोग	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
राप्रसा	राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना
रा.रा.वि.प्र.नि	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
राविउनि	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
रू./भा.रू.	भारतीय रूपये
अऊस्त्रो.	अक्षय ऊर्जा स्त्रोत
राविविम/मण्डल	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
अन्तरण योजना	राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अन्तरण योजना 2000
प्रसा.	प्रसारण

अ. 1 निष्पादन की वार्षिक समीक्षा

पृष्ठ भूमि

1.1 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ (राविप्रनि) ने माननीय आयोग के समक्ष बहुवर्षीय टैरिफ नियन्त्रणावधि विव – 10 से विव–14 के लिए बहुवर्षीय राजस्व आवश्यकता के विनिर्धारण के लिए दिनांक 24.4.2009 को तथा टैरिफ विनियम, 2009 के विनियम 6 व 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत विव 10 के लिए वाराआ तथा प्रसारण प्रभारों के लिए 26.3.2009 को याचिका दायर की।

1.2 आयोग ने राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्त), विनियम, 2009 के अन्तर्गत उक्त याचिका पर अपना आदेश दिनांक 1.8.2009 को पारित किया। आयोग के दिनांक 1.8.2009 के आदेश ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ के लिए विव 2009–10 से विव 2013–14 की बहुवर्षीय राजस्व आवश्यकता तथा विव 2009–10 के लिए प्रसारण टैरिफ का विनिर्धारण किया।

1.3 राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्त) विनियम, 2009 यह प्रावधान करता है कि जहॉं किसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी की समग्र राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ तथा प्रभारों से सम्भावित राजस्व बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे में आवृत है तो फिर ऐसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी, जैसी भी स्थिति है, नियंत्रणावधि के दौरान वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अध्यधीन होगी। टैरिफ विनियमों के विनियम 8 की यह अपेक्षा है कि प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक वार्षिक निष्पादन समीक्षा के लिए आवेदन करेगा। माननीय आयोग ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर पत्र संख्या राविविआ/सचिव/उस (तक.)/पत्रा. उस (तक)/प्रे. 1444 दिनांक 6.1.2010 द्वारा आवेदन दायर करने के लिए 27.1.2010 तक नियततिथि में वृद्वि दिये जाने की सहमति दे दी।

1.4 राविविआ टैरिफ विनियम 2009 के विनियम 8 के अनुसार वार्षिक निष्पादन समीक्षा का विषय– क्षेत्र अनुज्ञप्तिधारी की समग्र राजस्व आवश्यकता के अनुमोदित पूर्वानुमान तथा टैरिफ व प्रभारों से सम्भावित राजस्व के साथ निष्पादन की केवल तुलना करना रहेगा और इसमें निम्नलिखित का समावेश होगा :–

(अ) आवेदक के पिछले वर्ष के अंकेक्षित निष्पादन की ऐसे पिछले वर्ष के अनुमोदित पूर्वानुमान से तुलना करना तथा विवेकपूर्ण जांच के अध्यधीन अनियन्त्रणीय धटकों के संधात को हस्तान्तरित करने सहित व्ययों तथा राजस्व का ट्रयूइंग –अप करना।

(ब) पिछले वर्षो के अनियन्त्रणीय धटकों के कारण लाभ तथा हानियों में हिस्सेदारी की गणना।

(स) आवश्यक होने पर आगामी वित्तीय वर्ष के प्राक्कलनों का पिछले वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित परिणामों के आधार पर संशोधन।

1.5 राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 के विनियम 6 के साथ पठित विनियम 8 की अनुपालना में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़, एतद्द्वारा निम्नलिखित के लिए याचिका प्रस्तुत कर रहा है :–

1. राराविप्रनिलि के विव 2008–09 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर विव 2008–09 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का ट्रयूइंग–अप।

2. साझेदारी परियोजनाओं के लिए प्रसारण तथा प.एवं.सं. व्ययों हेतु वाराआ का अनुमोदन तथा बवटै नियन्त्रणावधि (2010–11) के द्वितीय वर्ष के लिए टैरिफ का विनिर्धारण

3. विव 2010–11 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा राभाप्रेके प्रभारों का अनुमोदन।

4 विव 09 के लिए ट्रयूइग –अप वाराआ

विव09 की प्रसारण के लिए ट्रयूइग–अप वाराआ

1.6 विव09 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर प्रसारण व्यवसाय के, राभाप्रेके व्ययों को पृथक्कीकरण व वियोजन के पश्चात् ट्रयूइंग–अप वाराआ का सारांश नीचे सारणी 1 में दिया गया है। आयोग द्वारा अनुमोदित वाराआ तथा वास्तविक अंकेक्षित लेखों में भिन्नता को अद्योलिखित पैराग्राफों में विश्लेषित किया गया है ।

1.7 विव 09 के लिए प्रसारण प्रकार्यो की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश, अंकेक्षित लेखों के आधार पर, निर्धारित प्रपत्र 1.1 में प्रस्तुत किया गया है। अनुमोदित आंकड़ों से विचलन को प्रपत्र 12 में विश्लेषित किया गया है।

सारणी 1

विव 09 के लिए प्रसारण व्यवसाय की वाराआ के ट्रयूइंग–अप के लिए प्रस्ताव

क. स.	विशिष्टियां	प्रसारण		
		अनुमोदित	अंकेक्षित	वृद्वि / कमी
	व्यय			
1	उत्पादन ईधन लागत		.	
2	मरम्मत एवं सधारण	161ण40	26ण05	;837ण52द्ध
3	कर्मचारी व्यय		942ण59	
4	प्रशासन तथा सामान्य		30ण28	
5	पेंशन तथा उपादान के लिए अतिरिक्त अंशदान	232ण32	462ण34	;230ण02द्ध
6	ह्रास	152ण63	125ण50	27ण13
7	दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	229ण94	223ण49	6ण45
8	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	16ण84	.	16ण84
9	अन्य व्यय	6ण85	24ण80	;17ण9द्ध
	कुल व्यय	**799ण98**	**1ए835ण05**	**;1ए035द्ध**
	राजस्व			
1	प्रसारण टैरिफ से राजस्व	774ण9	778ण40	;3ण5द्ध
2	अन्य आय	25ण10	344ण70	;319ण6द्ध
	कुल राजस्व	**800ण00**	**1ए123ण10**	**;323ण1द्ध**
	तुलन पत्र में ले जायी गयी हानि	**0ण02**	**. 711ण95**	**711ण97**

1.8 विव 09 के दौरान परिचालन एवं संधारण के लिए वास्तविक व्यय 838 करोड़ रू. से उच्चतर था। यह वृद्वि अनिधिबद्व स्टाफ सेवान्त परिलाभों के लिए बीमांक मूल्यकार से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किये गये प्रावधान तथा छठे वेतन आयोग की समीक्षा के अनुवर्ती वेतन के बकाया के भुगतान के कारण हुई है। चालू वित्तीय वर्ष 09 की कर्मचारी लागत में निम्नलिखित अवयवों का समावेश है :–

सारणी – 2 विव 09 के लिए राराविप्रनिलि कर्मचारी लागत अवयव

विशिष्टियां	विव 09
वर्ष के लिए कर्मचारी लागत	240
छठे वेतन आयोग के लिए बकाया	23
स्टॉफ को सेवान्त लाभ के लिए प्रावधान	815
धटायें :– कर्मचारी लागत का पूंजीकरण	83
निवल कर्मचारी लागत	**995**

नोट – सम्पूर्ण राराविप्रनिलि का प्रसारण के लिए यह राशि 942.59 रू. है।

बीमांक मूल्यांकन तथा ले मा 15 की अनुपालना में प्रावधान

1.9 राराविम के काल में सेवानिवृत/सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान हेतु राराविम की पुस्तकों में पृथक् निधि उपलब्ध थी। विधटन के पश्चात् एक अलग न्यास का 2001 में सृजन किया गया था तथा राराविम के समय जो निधि उपलब्ध थी उसे अन्तरण योजना के माध्यम से न्यास को स्थानान्तरित किया गया था और अब इसे नियमित रूप से उत्तराधिकारी सत्वों से अंशदान द्वारा निधिबद्व किया जाता है।

1.10 ले मा 15 के प्रावधानों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि को विधमान चालू वर्ष में सेवा लागत तथा पिछले वर्ष की सेवा लागत का अलग– अलग विवरण सहित परिभाषित परिलाभ बाध्यता (सेवानिवृति पश्चात् के परिलाभ) को सम्बन्धित वर्ष के लाभ– हानि खाते को प्रभारित करना होता है। इसी प्रकार समग्र निधि में सृजित परिसम्पतियों को भी तुलन पत्र की तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाना होता है। ले मा 15 के अनुसार, उपर्युक्त का मूल्य अर्थात् परिभाषित परिलाभ बाध्यताओं तथा उपर्युक्त परिसम्पत्तियों का मूल्य लेखों में, बीमांक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तिथि को, लेखा बद्व किया जाना चाहिए।

1.11 अन्तरण योजना के अनुसार, राविप्रनि को यह सुनिश्चित किया जाना है कि पेंशन तथा उपादान न्यासों को पर्याप्त रूप से निधिबद्व किया जाए ताकि 19.2.2000 तक सेवा निवृत हुये कार्मिकों सहित कार्मिकों द्वारा मण्डल को दी गई सेवाओं से सम्बन्धित भुगतानों का चुकारा किया जा सके। आगे यह भी लेख है कि अन्तरण की तिथि से पूर्व मण्डल की सेवा से निवृत हुये कर्मचारियों के प्रावधायी निधि, अधिवार्षिकी तथा उपादान सहित पेंशन तथा

अन्य सेवा निवृति परिलाभों के सम्बन्ध में समस्त बाध्यताओं का उन्मोचन राविप्रनि द्वारा किया जायेगा।

1.12 कम्पनी ने 1.04.2008 से ले मा 15 कर्मचारी परिलाभ (संशोधित) को अपना लिया है। 31.3.2008 तक पेंशन देयताओ के सम्बन्ध में अनिधिबद्व देयता 845.90 करोड़ रूपये परिकलित की गयी है। चूंकि सम्पूर्ण राशि को एक वर्ष में ही स्वीकार कर लिये जाने से इस वर्ष में भारी कमी का कारक होगा, अतः यह निर्णय लिया गया है कि इसे समान किस्तों में पांच वर्ष में विस्तारित कर दिया जाये। परिणामस्वरूप 169.18 करोड़ रूपये जो संक्रमणकालीन देयताओं का 1/5 वॉं है, विव 09 के लाभ– हानि खाते को प्रभारित है।

1.13 अवकाश के नकदीकरण के बारे में कम्पनी ने बीमांकित मूल्यांकन केवल 31.3.2009 को दायित्व के लिए प्राप्त किया है तथा 31.3.2008 तक के बीमांकित मूल्यांकन के अभाव में संक्रमण कालीन देयता अभिनिश्चत नहीं की जा सकी है। इसलिए बीमांक मूल्यकार द्वारा विनिर्धारित 62.16 करोड़ की सम्पूर्ण देयता को विव 09 के लाभ– हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है।

1.14 राविविम की उत्तराधिकारी कम्पनियों के कर्मचारियों के 19.7.2000 को सेवानिवृति परिलाभों के प्रति पेंशन तथा उपादान तथा विद्यमान पेंशनरों का दायित्व, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अन्तरण योजना में यथाधिसूचित 1769 करोड़ रूपये था जिसमें से सभी कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों की देयता 1444 करोड़ रूपये थी। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अनिधिबद्व देयता विव 09 की समाप्ति पर 1155 करोड़ रूपये (904 करोड़ रूपये पेंशन के तथा 251 करोड़ रूपये उपादान के प्रति) परिकलित की गई है। इस देयता को भी लेखा पुस्तकों में पांच समान वार्षिक किस्तों में मान्यता दी जायेगी और इसका 1/5 वॉं अर्थात् 231 करोड़ रूपये विव 09 को प्रभारित कर दिया गया है।

1.15 ले मा 15 (कर्मचारी हितलाभ) के क्रियान्वयन के मार्ग दर्शन प्रावधान करते हैं कि नियोक्ता द्वारा स्थापित प्रावधायी निधि अन्तर्विष्ट राज्य हित लाभ, जिसमें ब्याज की कमी को पूरा किया जाना है, को परिभाषित हितलाभ योजनाओं के रूप में माना जाना है। भारतीय बीमांकिक संस्था द्वारा युक्तियुक्त बीमांक पूर्वधारणा किये जाने का कार्य लम्बित होने और इस विषय पर दायित्वों का विनिर्धारण न किये जाने से इस सम्बन्ध में पड़ने वाले प्रभाव का

अभिनिश्चयन नहीं किय गया है।

1.16 अनिधिबद्व पेंशन तथा उपादान के लिए प्रावधान किये जाने का कार्य, बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर शुरू कर दिया गय है और इसमें निम्नलिखित का समावेश है :–

(अ) लेमा 15 की पालना करने की दृष्टि से आयोग द्वारा अनुमोदित 232 करोड़ रूपये के प्रति 462 करोड़ रूपये (231 करोड़ रूपये तत्कालीन राराविम की पेंशन तथा उपादान की देयताओं क लिए, 169 करोड़ रूपये विधटन से लेकर विव 08 तक की राविप्रनि की देयताओं के लिए तथा 62 करोड़ रूपये अवकाश के नकदीकरण हेतु का प्रावधान किया गया है।

(ब) बीमांकिक मूंल्याकन के अनुसार पेंशन तथा उपादान की विव 09 के लिए अतिरिक्त देयता 815 करोड़ रूपये है। इसमें, छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं को अपनाने से संधात जिससे राराविप्रनिलि की कर्मचारी लागत तथा फलस्वरूप सेवान्त लाभों की देयताओं में वृद्धि हुई है, भी शामिल है।

1.17 ह्रास, दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार एवं कार्यशील पूंजी पर विव 2008–09 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये व्ययों से कम है।

1.18 आय पक्ष की ओर प्रसारण टैरिफ से राजस्व 775 करोड़ रूपये के मुकाबले 778 करोड़ रूपये था। यह समय – समय पर आयोग के आदेशों/नियमों के आधार पर डिस्कॉमों से वसूल किये जा रहे सामान्य व्ययों के कारण है।

1.19 अन्य आय आयोग द्वारा अनुमोदित आंकडो से, उत्पादन केन्द्रों द्वारा अनुमत केडिटों, राताविनि द्वारा 1.4.2004 से पूर्व के वर्षों के लिए प्रतिदान के कारण 320 करोड़ रूपये उच्चतर थी।

1.20 13 करोड़ रूपये की आस्थगित आय को विव 09 में उपभोक्ताओं से अंशदान के प्रति माना गया है और आर्थिक सहायतओं तथा अनुदानों से राजस्व में शामिल किया गया है। यह ले मा– 12 की अपेक्षाओं, जो इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं व अनुदानों के बारे में दो प्रकार के व्यवहारों का उल्लेख करती है, के अनुरुप किया गया है। पहला, यह कि इसे वित्त– प्रबन्ध विधि माना जाये और इस विधि से वित्त पोषित परिसम्पतियों पर ह्रास प्रभारित न किया जाये। दूसरा, यह कि इसे राजस्व माना जाये और परिसम्पतियों का वित्त –

प्रबन्धन पूर्णतः ऋणों व साम्या से माना जाकर परिसम्पत्तियों के पूरे खण्ड पर ह्रास प्रभारित किया जाये।

1.21 राविप्रनि ने इस वर्ष से द्वितीय विधि को अपनाया है और पिछले सभी उपभोक्ता अंशदानो, आर्थिक सहायताओं व अनुदानों के पश्चात्वर्ती वर्षों में किस्तों में लाभ– हानि खाते को, उन्हें राजस्व के रूप में माने जाने के लिए प्रभारित करेगा।

1.22 विव 09 का निवल धाटा 712 करोड़ रूपये का परिकलित है जिसे विव 11 की वाराआ में, वाराआ विव 09 के ट्रयूइग–अप के भाग के रूप में ले जाया जाना प्रस्तावित है।

विव 09 के लिए राभाप्रेके की ट्रयूइग–अप वाराआ

1.23 राभाप्रेके व्ययों क पृथक्कीकरण व विलगन के पश्चात् राभाप्रेके प्रकार्य व्यवसाय का विव 09 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर ट्रयू–अप वाराआ को नीचे दी गयी सारणी 3 में सारांशित किया गया है। टैरिफ एवं वाराआ के अपने आदेश दिनांक 31.3.2008 में विव 2008–09 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित लागत तथा व्यय भी दर्शाये गये है। आयोग द्वारा अनुमोदित लागत तथा अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक में अन्तर को निम्नलिखित पैराग्राफ में विश्लेषित किया गया है।

1.24 जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है बीमांकिक मूल्यांकन के प्रभाव को कम्पनी स्तर पर माना गया है तथा राभाप्रेके कर्मचारियों के लिए पृथक से सम्पादित नहीं किया गया है। अनिधिबद्व देयताओं को वर्तमान में प्रसारण व्यवसाय को प्रभारित नहीं किया गया है।

1.25 अंकेक्षित लेखों पर आधारित राभाप्रेके प्रकार्यों की विव 09 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश राभाप्रेके भाग के प्रपत्र 1.1 में दर्शाया गया है। अनुमोदित आंकड़ों से विचलन का विश्लेषण प्रपत्र 12 में किया गया है।

सारणी 3 विव 09 के लिए भाप्रेके की वाराआ के ट्रयूइंग–अप हेतु प्रस्ताव

क.स.	विशिष्टियां	राभाप्रेके		
		अनुमोदित	अंकेक्षित	वृद्वि / कमी
	व्यय		.	
1	मरम्मत एवं सधारण		0ण28	
2	कर्मचारी व्यय	5ण48	12ण00	;7द्ध
3	प्रशासन तथा सामान्य		0ण54	
4	ह्रास	2ण8	1ण06	2
5	दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	1ण53	0ण66	0ण87
6	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	.	.	.
7	राभाप्रेके के परिचालन व्यय	13ण39	15ण58	;2द्ध
8	अन्य व्यय	.	.	.
	कुल व्यय	**23ण20**	**30ण13**	**;7द्ध**
	राजस्व	.	.	.
	राभाप्रेके के प्रभारों से राजस्व	23	23ण50	;1द्ध
1	अन्य आय	.	.	.
2	**कुल राजस्व**	**23ण0**	**23ण50**	**;1द्ध**
	तुलन पत्र में ले जायी गयी हानि	**.0ण20**	**. 6ण63**	**6ण43**

1.26 राविप्रनि के अंकेक्षित लेखों के अनुसार राभाप्रेके के व्यय को विव 10–14 की बवटै याचिका के दौरान अपनायी गयी विधि तथा आयोग द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुये पृथक कर दिया गया है।

1.27 विव 09 के लिए राविविआ द्वारा अनुमोदित कुल प.एवं. सं. व्यय 5 करोड़ रूपये था, जिसके प्रति वास्तविक व्यय निम्नानुसार था :–

1.	मरम्मत एवं संधारण	–
2.	कर्मचारी व्यय	12 करोड़ रूपये
3.	प्रशासन व सामान्य	1 करोड रूपये

1.28 कर्मचारी व्ययों में वृद्वि मुख्यतः छठे वेतन आयोग के बकाया का भुगतान किये जाने के

कारण हुयी है आयोग द्वारा अनुमोदित वाराआ के अन्य मदों में कोई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

साझेदारी परियोजनाओं की विव 2008–09 के लिए उत्पादन लागत का ट्रयूइग–अप

1.29 विव 09 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर साझेदारी परियोजनाओं की उत्पादन लागत का ट्रयू–अप नीचे सारणी 4 में सारांशित है। आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2008 के अपने वाराआ तथा टैरिफ आदेश में विव 2008–09 के लिए अनुमोदित व्यय भी दर्शाये गये है। आयोग द्वारा अनुमोदित लागत तथा वास्तविक अंकेक्षित लेखों में भिन्नता को निम्नलिखित पैराग्राफों में विश्लेषित किया गया है,

सारणी 4 विव 2008–09 के लिए साझेदारी परियोजनाओं के लिए व्ययों का ट्रयू–अप

क. स.	विशिष्टियां	साझेदारी		
		अनुमोदित	अंकेक्षित	वृद्वि / कमी
	व्यय			
1	उत्पादन ईधन लागत	129ण15	165ण31	;36द्ध
2	मरम्मत एवं सधारण	87ण65	48ण12	;4द्ध
3	कर्मचारी व्यय		40ण56	
4	प्रशासन तथा सामान्य		3ण35	
5	ह्ास	6ण56	6ण44	0
6	दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	12ण24		12
7	अन्य व्यय		0ण04	;0द्ध
	कुल व्यय	**235ण60**	**263ण82**	**;28द्ध**
	राजस्व	.	.	.
1	साझेदारी परियोजनाओं से राजस्व	58ण97	77ण98	;19ण0द्ध
2	अन्य आय		5ण50	;5ण5द्ध
3	अन्य राज्यों तथा साझा पूल से राजस्व	176ण93	179ण90	;3ण0द्ध
	कुल राजस्व	**235ण9**	**263ण38**	**;27ण48द्ध**
	तुलन पत्र में ले जायी गयी हानि	**0ण30**	**.0ण44**	**0ण74**

1.30 साझेदारी परियोजनाओं की उत्पादन लागत में 28 करोड़ रूपये की वृद्वि मुख्यतः ईधन लागत

में 36 करोड़ रूपये की वृद्धि के कारण हुई है।

अनुमोदित तथा वास्तविक में भिन्नता का सारांश

1.31 आयोग के दिनांक 31.3.2008 के आदेश द्वारा अनुमोदित वाराआ तथा विव 09 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार वैभिन्य का सार सारणी 5 में सारांशित है।

सारणी 5 राविप्रनि की विव 09 की ट्रयू–अप वाराआ विचलनों का सारांश

क.स.	विशिष्टियां	राविप्रनि योग		
		अनुमोदित	अंकेक्षित	वृद्धि / कमी
	व्यय			
1	उत्पादन ईधन लागत	129ण्15	165ण्31	;36द्ध
2	मरम्मत एवं सधारण	254ण्53	74ण्45	;849द्ध
3	कर्मचारी व्यय		995ण्13	
4	प्रशासन तथा सामान्य		34ण्17	
5	पेंशन तथा उपादान के लिए अतिरिक्त अंशदान	232ण्32	462ण्34	;230द्ध
6	ह्रास	161ण्99	133ण्00	29
7	दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	243ण्71	224ण्15	36
8	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	16ण्84	.	36
9	राभाप्रेके परिचालन व्यय	13ण्39	15ण्58	;2द्ध
10	अन्य व्यय	6ण्85	24ण्84	;18द्ध
	कुल व्यय	**1ए058ण्78**	**2ए128ण्99**	**;1ए070द्ध**
	राजस्व			
1	प्रसारण टैरिफ से राजस्व	774ण्9	778ण्40	;4द्ध
2	साझेदारी परियोजनाओं से राजस्व	58ण्97	77ण्98	;19द्ध
3	राभाप्रेके प्रभारों से राजस्व	23	23ण्50	;1द्ध
4	अन्य आय	25ण्10	350ण्20	;325द्ध
5	अन्य राज्यों तथा साझा पूल से राजस्व	176ण्93	179ण्90	;3द्ध
	कुल राजस्व	**1ए058ए90**	**1ए409ण्98**	**;351द्ध**
	तुलन पत्र में ले जायी गयी हानि	**0ण्12**	**719ण्01**	**;719द्ध**

प्रार्थना

1.1 राविप्रनि माननीय आयोग से विनम्र निवेदन करता है कि –

- ✸ विव 09 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को राविप्रनि के विव 09 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर ट्रयू–अप का विनिर्धारण करे।
- ✸ दिनांक 31.3.2008 के आदेश द्वारा अनुमोदित व्यय तथा अंकेक्षित लेखों केअनुसार नीचे दिये गये वास्तविक व्यय के वैमिन्य को अनुवर्ती वर्ष में अग्रेनीत किया जाना अनुमत करे।

◙	प्रसारण	711.97 करोड़ रूपये
◙	राभाप्रेके	6.43 करोड़ रूपये
◙	साझेदारी परियोजनायें	0.74 करोड़ रूपये
◙	योग	719.01 करोड़ रूपये

- ✸ 719.01 करोड़ रूपये के विचलन की वसूली विव 11 के दौरान या माननीय आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाली अवधि के दौरान किया जाना अनुमत करे।
- ✸ हमें अतिरिक्त आंकड़े तथा सूचना प्रस्तुत किये जाने तथा/या प्रस्तुत की गई सूचना का आशोधित करने की अनुमति दे।
- ✸ तथा प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य तथा अग्रेतर आदेश पारित करे।

अ.2 विव 2010–11 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता

2.1 विव 2010–11 के लिए प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी की वाराआ, राभाप्रेके वाराआ एवं प्रभार तथा भाब्याप्रम, चम्बल– सतपुड़ा संकुल साझेदारी परियोजनाओं में राजस्थान का पं.एवं. सं. हिस्सा नियंत्रणावधि विव 2010–14 के लिए बहुवर्षीय राजस्व आवश्यकता याचिका तथा उस पर आयोग के अधिनिर्णय पर आधारित पृथक्कीकरण/विनियोजन के आधार पर तैयार किया गया है। राविप्रनि ने अपने लेखों को प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रकार्यों के बीच इन प्रकार्यों की विव 2010–11 की वाराआ के पृथक्कीकरण के प्रयोजन से व्यापक रूप से पृथक किया है।

2.2 इस याचिका के भाग – 1 में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित दीर्घकालीन प्रयोक्ताओं से प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी के प्रसारण प्रभारों की खुले अधिगमन ग्राहकों से प्रभारों तथा एक दिवस आगे के संव्यवहारों के लिए विद्युत विनिमय के माध्यम से ट्रेड़िग के प्रभारों की वसूली के लिए विव 2010–11 के लिए वाराआ तथा विव 2010–11 के लिए टैरिफ का समावेश है।

2. इस याचिका के भाग – 2 में राभाप्रेके की विव 2010–11 के लिए वाराआ तथा विव 2010–11 के लिए टैरिफ का समावेश है, क्योंकि राजस्थान के राज्य भार प्रेषण केन्द्र का परिचालन राविप्रनि कर रहा है। राभाप्रेके प्रभार, राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र से जुड़े तथा इसका उपयोग करने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, खुले अधिगमन ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से वसूली योग्य हैं।

2.4 याचिका के भाग –3 में साझेदारी परियोजनाओं से सम्बन्धित उत्पादन व्ययों की, इन साझेदारी परियोजनाओं में उनके क्षमता के हिस्से के नियतन के आधार पर डिस्कॉमों से, वसूली शामिल है।

2.5 राभाप्रेके तथा प्रसारण में निवेशों की 20:80 के अनुपात में साम्या तथा ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया जाना पूर्वधारित है, जो आयोग द्वारा जारी किये गये नियमों के प्रावधानों की अनुपालना करती है।

भाग – I

विव 2010–11 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा प्रसारण टैरिफ

अ 2:

भाग – 1 प्रसारण तथा खुले अधिगमन के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ

2.1 याचिका के इस भाग में, प्रसारण प्रकार्य के प्रसारण प्रभारों की वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित दीर्घकालीन प्रयोक्ताओं, प्रभारों की खुले अभिगमन ग्राहकों तथा एक दिवस आगे के विद्युत विनिमय संव्यवहारों के माध्यम से ट्रेड़िग प्रभारों की वसूली का समावेश है।

राविप्रनि प्रसारण तन्त्र द्वारा संचालित क्षमता

2.2 दिनांक 1.8.2009 के ब.व.रा. आदेश में आयोग ने राविप्रनि द्वारा विव 11 में संचालित किये जाने वाले प्रसारण तन्त्र की निवल क्षमता का 8052.1 मे.वा. होना प्राक्कलित किया, जिसमें 220 मेवा खुले अभिगमन के लिए होने को शामिल करते हुये शेष 7832.1 मेवा का नियतन डिस्कॉमों की मॅाग को इस याचिका में टैरिफ विनिर्धारण के लिए अपनाया गया है तथा नीचे दी गई सारणी में सारांशित है :–

सारणी 6 राविप्रनि द्वारा संचालित क्षमता (मेवा)

विशिष्टियां	2009–10 अनुमोदित	2010–11 अनुमोदित
अनुमोदित प्रसारण क्षमता	7145ण5	7832ण1
खुला अभिगमन	198	220
योग	7343ण5	8052ण1

राराविप्रनिलि तन्त्र में प्रसारण हानियां

2.3 आयोग ने दिनांक 1.8.2009 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश द्वारा सिद्वान्ततः राज्य के भीतर प्रसारण हानियां विव 11 के लिए निम्नानुसार हानि प्रक्षेप–पथ के साथ 4.4 प्रतिशत की अनुमोदित की हैं।

सारणी 7 प्रसारण हानियों का प्रक्षेप– पथ

विशिष्टियां	विव 10	विव 11
प्रसारण हानियां	4ण्4:	4ण्4:

2.4 तथापि, आयोग ने राविप्रनि को ऐसे विस्तृत तन्त्र अध्ययन शुरू करने के निर्देश दिये जो संकुलन को कम/तन्त्र प्राचल में सुधार/प्रसारण हानियों को कम कर सकने को अभिज्ञात तथा प्रसारण योजना को प्राथमिकता दे सके। इस सम्बन्ध में याचिकाकर्त्ता निवेदन करना चाहता है कि निवेश योजनाओं का चयन तन्त्र अध्ययन के आधार पर ही किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी को विव 11 के लिए राज्य के अन्दर– अन्दर प्रसारण हानियां आयोग द्वारा अनुमोदित स्तर तक ही रहने की आशा है।

राविप्रनि प्रसारण निवेश तथा वित्त प्रबन्ध योजना

2.5 विव 2010–11 के लिए विस्तृत निवेश योजना, निवेश विनियम, 2006 की अनुपालनानुसार राविविआ को समीक्षार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर ली गयी है। इसके प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2010 है। निवेश के वर्गीकरण के संक्षिप्त मद नीचे दी गयी सारणी में वर्णित है :–

सारणी – 8 निवेश एवं वित्त पोषण

निवेश व वित्त पोषण योजना	विव 11 (प्रक्षेपित)
नियोजित निवेश	**2ए485**
वित्तीय योजना	
भारतीय जीवन बीमा निगम	250
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	664
बॉण्डस्	200
वाणिज्यिक बैंक	890
राज्य सरकार साम्या	481
कुल संसाधन	**2ए485**

2.6 आयोग ने नियन्त्रणावधि 2010–14 की बहुवर्षीय राजस्वाश्यकता का अनुमोदन करते समय उल्लेख किया था कि समग्र राजस्व आवश्यकता के विनिर्धारण के प्रयोजन से केवल ऋण

परिवर्धन तथा साम्या अंशदान को, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में किये गये परिवर्धनों के अनुरूप उपयोग में लाई गई परिसम्पत्तियों (अर्थात् केवल पूंजीकृत परिसम्पत्ति मूल्यों हेतु) को ध्यान में रखा जायेगा। पूंजीगत व्यय तथा प्रगत्याधीन कार्यों के लिए आहरित ऋणों पर ब्याज के प्रति निवेश को निर्माण के दौरान ब्याज के रूप में माना जाना है और परिसम्पत्ति जब भी उपयोग में लायी जाये के साथ पूंजीकृत किया जाना है। आयोग ने विव 09 के लिए 1090.70 करोड़ रूपये की सकल परिसम्पत्तियों में परिवर्धन स्वीकार कर लिया है और सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिवर्धन का निधीयन 837.84 करोड़ रूपये दीर्घ कालीन ऋण द्वारा, 209.96 करोड़ रूपये राज्य सरकार के साम्या द्वारा तथा शेष 43.40 करोड़ रूपये उपभोक्ता अंशदान द्वारा किये जाने का अनुमोदन कर दिया है।

2.7 राराविप्रनि ने अपनी परियोजनाओं के लिए 3 वर्ष की गर्भावधि का उपयोग किया है और उन कार्यों के लिए क्रमशः 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 20 प्रतिशत पूर्णता प्रतिशतता उपयोग में ली है।

2.8 प्रासंमिक आधार पर निवल प.एवं.स. व्यय के लिए विव 10 तथा विव 11 के लिए अनुमोदित आंकड़े तथा विव 11 के लिए संशोधित प्रक्षेपण नीचे दी गयी सारणी में दर्शाये गये हैं :–

सारणी 9 निवल पं. एवं सं. व्यय

	विव 10 (आदेश)	**विव 11 (आदेश)**	**विव 11 (याचित)**
निवल पं. एवं पं. प्रभार	279ए76	312ए32	360ए43

2.9 विव 11 के लिए प्रक्षेपण आयोग द्वारा जारी विनियमों में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार किये गये है। प. एवं. स. व्ययों का प्राक्कलन प्रसारण क्षमता तथा नेटवर्क के प्रक्षेपित परिवर्धन के आधार पर किया गया है।

2.10 अनुज्ञप्तिधारी निवेदन करना चाहता है कि इसे विव 09 में छठे वेतन आयोग के द्वारा वेतनमानों में हुये संशोधन के कारण बकाया के भुगतान के लिए भारी व्यय करना पड़ेगा जिसे विव 09 के थोक मूल्य सूचकांक वृद्धि में ध्यान में नहीं रखा गया है। इस संशोधन का विव 10 तथा विव 11 के प.एवं.स. व्ययों पर भी संधात पड़ेगा।

2.11 अनुज्ञप्तिधारी इस संधात का पता विव 09 के लेखों को अन्तिम रूप में दिये जाने के बाद लगा सका और पाया कि संशोधित वेतनों तथा पेंशन, उपादान व अवकाश के नकदीकरण

देयताओं के लिए बीमांकिक रिपोर्ट के निष्कर्षनुसार आयोग द्वारा विहित प्रतिमान अपर्याप्त हैं। अतः अनुज्ञप्तिधारी आयोग ने अनुरोध करता है कि प्रतिमानों को संशोधित करे औश्र इस सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय ले।

ह्रास प्रभार

2.12 ह्रास प्रभारों का परिकलन राविविआ टैरिफ विनियम 2009 में निर्धारित ह्रास की दरों पर किया गया है। ह्रास प्रभार के विव 10 तथा विव 11 के लिए अनुमोदित आंकड़ों तथा विव 11 के लिए संशोधित प्रक्षेपण नीचे दी गयी सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी 10 ह्रास प्रभार

	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
प्रसारण खण्ड	184	228	254

2.13 यह अनुमान है कि सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की 15 प्रतिशत परिसम्पत्तियां 12 वर्ष से अधिक पुरानी है (गणना दिनांक 1.8.09 के ब.व.रा. के आंकड़ों के अनुसार की गई है)। राविप्रनि ने सभी श्रेणी की सम्पत्तियों की 15 प्रतिशत परिसम्पत्ति पर ह्रास 1.16 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया है और शेष पर आयोग द्वारा ह्रास के प्राक्कलन करने की अनुसूची में विहित दरों पर।

2.14 विनियमों के उपाबन्ध 22 की अपेक्षा है कि ऋणों का पुनर्भुगतान वर्ष के लिए प्रभारित ह्रास की सीमा तक ही होना चाहिए। यद्यपि, इस याचिका में पुनर्भुगतानों को व्यय का भाग नहीं माना गया है तथापि, अनुज्ञप्तिधारी निवेदन करना चाहेगा कि विगत में पूंजीगत निवेश के वित्त प्रबन्ध के लिए ली गयी उधार में उपरोक्त संकल्पना की पालना नहीं की गयी है। इसलिए, वार्षिक पुनर्भुगतान, अनुमत किये गये वार्षिक ह्रास से अधिक होगें।

2.15 ऋण पुनर्भुगतान तथा ह्रास के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए राविप्रनि का अतिरिक्त अल्पकालीन ऋण लेने का प्रस्ताव है। ह्रास तथा पुनर्भुगतान देयता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अल्पकालीन ऋण पर ब्याज, कुल ब्याज विवक्षा, जो ब्याज तथा वित्त प्रभार का हिस्सा है, में शामिल हैं।

उपादान तथा पेंशन के प्रति अतिरिक्त अंशदान

2.16 भारतीय सनदी लेखाकरों की संस्था (भासलेसं) ने 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद प्रारम्भ होने वाली लेखावधि के लिए लेखा मानक 15 (आर 2000) के क्रियान्वयन को प्रभावी कर दिया है। इसकी अपेक्षा, कम्पनी के तुलन पत्र में बीमांकिक मूल्यांकनानुसार देयताओं को तत्काल मान्यता दिये जाने की है। ले मा 15 की अनुपालना में राविप्रनि ने विव 09 से शुरू होने वाली लेखा पुस्तकों में देयताओं को मान्यता देने का निर्णय लिया है। बीमांकिक मूल्यांकन पर विस्तृत टिप्पण तथा अनिधिबद्व स्टाफ सेवान्त हित लाभों के लिए प्रावधान पहले ही उपरोक्त ट्रयू–अप भाग में कर लिया गया है।

2.17 उन्हीं सिद्वान्तों की पालना करते हुये, अतिरिक्त अंशदान (द्वितीय वर्ष की देयताओं का 1/5 वां संधटक) 400 करोड़ रूपये परिकलित और नीचे सारांशित है :–

सारणी 11 पेंशन तथा उपादान के लिए अतिरिक्त अंशदान

विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
266	266	400

ब्याज एवं वित्त प्रभार

2.18 प्रसारण प्रकार्य के लिए विव 10 तथा विव 11 के लिए अनुमोदित तथा विव 11 के लिए प्राक्कलित ब्याज एवं वित्त प्रभार की विस्तृतियां नीचे दी गयी सारणी में प्रस्तुत है। दीर्धकालीन ऋण पर ब्याज का भार विव 11 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित 276 करोड़ रूपये से बढ़कर निवेश योजना के लिए उधार लिये जाने के कारण 510 करोड़ रूपये हो गया है, जिसका विवरण राराविप्रनि शीध्र ही प्रस्तुत कर देगा।

2.19 राविप्रनि का प्रस्ताव पुनर्भुगतान बाध्यता तथा ह्रास प्रभार के बीच के अन्तर को राराविप्रनि अतिरिक्त अल्पकालीन ऋण के माध्यम से पूरा करने का है। इससे 24 करोड़ रूपये से ब्याज भार की वृद्वि प्रत्याशित है।

सारणी 12 ब्याज तथा वित्त प्रभार की विस्तृतियां

	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
दीर्ध कालीन ऋणाों पर ब्याज	274	276	514
कार्यशील पूंजी पर ब्याज (प्रतिमानानुसार)	23	25	32
पुनभुर्गतान देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अल्पकालीन ऋण पर ब्याज			24
धटायें :– पूंजीकृत ब्याज	.28	.21	.126
वित्त प्रभार	3	2	5
योग	**226**	**278**	**439**

2.20 अनुज्ञप्तिधारी निवेदन करना चाहता है कि यह अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज को दोनों प्रसारण तथा राभाप्रेके प्रकार्यों को विलम्ब से भुगतान पर प्रभार के एवज में डिस्कॉमों को हस्तान्तरित किया जाना जारी रखेगा। तथापि यह प्रस्तावित है कि अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज डिस्कॉमों की ऐसी प्राप्यताओं की सीमा तक ही हस्तान्तरित किया जायेगा। डिस्कॉमों की ऐसी प्राप्यताओं से अधिक राविप्रनि द्वारा वहन किया जा रहा ब्याज, टैरिफ का भाग होगा। कार्यशील पूंजी पर ब्याज राविविआ द्वारा स्थापित प्रतिमानों के अनुसार होगा।

अन्य व्यय

2.21 अन्य व्यय, वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्धकालीन ऋणों की पुनर्संरचना/पुनर्वित्त प्रबन्ध पर अधिमूल्य, असाधारण मद तथा सीमान्त हित लाभ कर के कारण है।

सारणी 13 अन्य व्यय

	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
अन्य व्यय	60	66	30

साम्या पर प्रतिफल

2.22 राविप्रनि ने अपनी साम्या पर किसी प्रतिफल को विव 08, विव 09 तथा विव 10 की टैरिफ में प्रभारित नहीं किया है। राविप्रनि का साम्या पर प्रतिफल को विव 11 में वितरण कम्पनियों से वसूल करने का प्रस्ताव भी नहीं है। तथापि, नियन्त्रणावधि के अनुवर्ती वर्षों विव 12 से विव 14 के लिए राविप्रनि अपनी वाराआ में राजस्थान सरकार की संशोधित नीति के आधार पर साम्या पर प्रतिफल प्रभारित कर सकता है।

खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से राजस्व

2.23 खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से विव 10 तथा विव 11 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित तथा राविप्रनि द्वारा याचित राजस्व नीचे दी गयी सारणी दर्शाया गया है। राजस्व का निर्धारण भविष्य के वर्षों के लिए खुला अभिगमन क्षमता के आधार पर किया गया हैं

सारणी – 14 खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से राजस्व

	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से आय	28	28	39
खुला अभिगमन क्षमता (मेवा)	198	220	220

गैर टैरिफ आय

2.24 विविध प्राप्तियों, पूर्वावधि आय, बॉण्डों के सुरक्षीकरण के प्रति प्रोत्साहन, सरकारी ऋण के प्रति ब्याज की आर्थिक सहायता, विश्व बैंक ऋण पर विभेदक ब्याज आदि के कारण गैर – टैरिफ स्त्रोतों से राजस्व नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी 15 गैर– टैरिफ आय

	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
गैर– टैरिफ आय	38	40	59

प्रसारण के लिए राजस्व आवश्यकता

2.25 विव 10–11 के लिए प्रक्षेपण के साथ ही विव 10 आदेश नीचे सारणी में दर्शाये गये हैं :–

सारणी 16 ब्याज तथा वित्त प्रभार की विस्तृतियां

क.सं	विशिष्टियां	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
1	पं. एवं.सं. व्यय	280	312	360
2	ह्रास	184	228	254
3	दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज (धटायें– पूजींकृत)	246	255	388
4	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (प्रतिमानानुसार)	23	25	32
5	अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज (डिस्कॉमों को स्थानान्तरण हेतु समायोजित)			24

6	वित्त प्रभार	3	2	5
7	पेंशन तथा उपादान के लिए अतिरिक्त अंशदान	266	266	400
8	अन्य व्यय	60	66	30
9	**कुल राजस्व व्यय**	**1063**	**1155**	**1494**
10	साम्या पूँजी पर प्रतिफल		.	.
11	**समग्र राजस्व आवश्यकता**	**1063**	**1155**	**1494**
12	धटायें – गैर–टैरिफ आय	38	40	59
13	धटायें –खुले अभिगमन से आय	28	28	39
14	**दीर्ध कालीन प्रयोक्ताओं से प्रसारण के लिए निवल वाराआ**	**997**	**1087**	**1396**
15	विव 08 के लिए राजस्व अन्तर का ट्रयू–अप	11		
16	विव 08 के लिए अनुमत प्रोत्साहन	7		
17	**प्रसारण टैरिफ की वसूली के लिए समायोजित निवल वाराआ**	**1015**	**1087**	**1396**

उपलब्धता आधारित प्रोत्साहन

2.26 राविप्रनि, एक प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में 98 प्रतिशत की लक्षित उपलब्धता से ऊपर 99.75 प्रतिशत तक वार्षिक उपलब्धता हासिल करने पर राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 के अनुसार प्रोत्साहन प्राप्त करने का हकदार है। राविप्रनि का प्रस्ताव है कि प्रोत्साहन की , विव 11 के लिए अनुमोदित सूत्र के अनुसार, वसूली अनुज्ञप्तिधारियों तथा दीर्ध– कालीन खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से की जाये।

2.27 प्रोत्साहन भुगतान नीचे दिये गये सूत्र से शासित होता है।

प्रोत्साहन वार्षिक प्रसारण प्रभार ग (हासिल की गयी वार्षिक उपलब्धता . ;द्ध लक्ष्य उपलब्धता)/ लक्ष्य उपलब्धता

2.28 प्रोत्साहन दीर्धकालीन खुले अभिगमन ग्राहकों (डिस्कॉमों) तथा अन्य दीर्धकालीन खुले अभिगमन ग्राहकों से वसूल किया जाना है।

विव 11 के लिए प्रसारण व्ययों की वसूली

2.29 डिस्कॉमों से वसूल किये जाने वाले प्रसारण प्रभारों का परिकलन राविप्रनि द्वारा प्रसारण प्रकार्यों पर उपगत व्ययों में से गैर– टैरिफ आय तथा खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से आय को कम करते हुये किया गया है। राविप्रनि का प्रस्ताव निम्नलिखित प्रसारण प्रभारों को क्षमता के आधार पर प्रतिकिवा रू. प्रतिमाह वसूल करने का है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

सारणी 17 विव 10 से विव 14 तक प्रसारण प्रभार तथा टैरिफ

क.सं	विशिष्टियां	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
1	**राविप्रनि प्रसारण व्यय**	**1063**	**1155**	**1494**
2	धटायें – गैर टैरिफ आय	38	40	59
3	धटायें – खुले अभिगमन से राजस्व	28	28	39
4	**डिस्कॉमों से वसूल किये जाने वाले प्रसारण प्रभार**	**997**	**1087**	**1396**
5	विव 08 के लिए राजस्व अन्तर का ट्रयू– अप	11		
6	विव 08 के लिए अनुमत प्रोत्साहन	7		
7	**प्रसारण टैरिफ की वसूली के लिए समायोजित निवल वाराआ**	**1015**	**1087**	**1396**
8	राराविप्रनिलि के प्रसारण तन्त्र द्वारा संचालित क्षमता (मेवा)	7344	7832	7832
9	प्रसारण टैरिफ (रू./किवा/माह) (विव 09 की ट्रयूअप के बिना)	115ण16	115ण65	148ण54

2.30 विव 09 के ट्रयूइंग –अप के लिए 712 करोड़ रूपये की वसूली माननीय आयोग द्वारा तय की जा सकती है।

विद्युत विनिमय संव्यवहारों के लिए प्रसारण प्रभार

2.31 विद्युत विनियम के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों तथा अल्पकालीन खुले अभिगमन ग्राहकों से प्रसारण प्रभार आयोग द्वारा दिनांक 1.8.2009 के बवटै आदेश में किवाध के आधार पर निर्धारित कर दिये गये हैं। प्रति किवाध प्रभारों तक पहुंचने के लिए राविप्रनि द्वारा विव

2010–11 के दौरान संचालित किये जाने वाली दस लाख इकाइंया (एम यू) 40331.7 दलाई पूर्वधारित है। विव 11 के लिए वार्षिक प्रसारण प्रभार तथा राविप्रनि तन्त्र में पारेषित की जाने वाली सम्भावित ऊर्जा आधारित प्रति इकाई प्रभार 37.04 पैसे/किवाध परिकलित होते है। एक दिन में चार ब्लॉकों के लिए 6 धण्टे के ब्लॉक पर अल्पकालीन खुले अभिगमन के लिए प्रसारण प्रभार 9.26 पैसे/किवाध है।

सारणी 18 विद्युत विनिमय संव्यवहारों के लिए प्रसारण प्रभार

क.सं	विशिष्टियां		विव 11
1	वार्षिक प्रसारण प्रभार (वाप्रप्र)	रू. करोडत्रः	1ए494ण्00
2	राविप्रनि तन्त्र में परेषित की जाने वाली इकाइयां	दस लाख इकाइयां	40331ण्77
3	सामूहिक विद्युत विनिमय संव्यवहारों के लिए प्रसारण टैरिफ	पैसे/किवाध	37ण्04
4	अल्पकालीन खुले अभिगमन ग्राहकों के लिए प्रसारण प्रभार (पैसे/किवाध/दिन)	पैसे/किवाध/दिन	9ण्26

प्रार्थना

1.1 राविप्रनि माननीय आयोग से विनम्र निवेदन करता है कि –

- ✷ विव 2010–11 (बहुवर्षीय नियन्त्रणावधि विव 2010–14 का द्वितीय वर्ष) के लिए राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन करे।
- ✷ विव 2009–10 के लिए डिस्कॉमों तथा अन्य दीर्घकालीन प्रसारण प्रयोक्ताओं से राविप्रनिलि के लिए वसूल किये जाने वाले प्रसारण प्रभारों की टैरिफ अनुमोदित करे।
- ✷ सामूहिक विद्युत विनिमय संव्यवहारों तथा अन्य अल्पकालीन खुले अभिगमन ग्राहकों के लिए प्रतिकिवाध के आधार पर विव 2010–11 के लिए प्रसारण प्रभारों की वसूली के लिए टैरिफ अनुमोदित करे।
- ✷ राराविप्रनिलि के अंकेक्षित लेखों तथा याचिका व संलग्न आरूपों में प्रस्तुत सूचनाओं पर आधारित विव 2008– 09 की वाराआ का ट्रयूइग–अप अनुमोदन करे तथा प्रसारण प्रभारों में धाटे को विव 11 के लिए वाराआ में ले जाया जाना अनुमत करे।
- ✷ हमें अतिरिक्त आंकड़े तथा सूचना प्रस्तुत करने तथा/या प्रस्तुत की गयी सूचना को अशोधित करना अनुमत करे।
- ✷ तथा प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य तथा अग्रेतर आदेश पारित करे।
- ✷ छठे वेतन आयोग तथा पेंशन तथा उपादान भुगतान में वृद्वि के कारण बढ़ी हुइ कर्मचारी लागत को ध्यान में रखते हुये पं. एवं सं. प्रभारों के प्रतिमानों की समीक्षा कर संशोधित करे।
- ✷ कमी के लिए ऋण पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिए अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुमत करे।

भाग – II

राविप्रनि – राभाप्रेके बहुवर्षीय राजस्व आवश्यकता तथा राभाप्रेके प्रभारों की वसूली

अ 3: भाग –ए विव 11 के लिए राभाप्रेके प्रभारों की वसूली

3.1 याचिका के इस भाग में राभाप्रेके प्रकार्यों की विव 2011 के लिए वाराआ समावेशित है। राजस्थान के राज्य भार प्रेषण केन्द्र को परिचालित करने वाले राविप्रनि को राभाप्रेके के परिचालन के सम्बन्ध में उपगत व्ययों को वसूल करना होता है। राभाप्रेके प्रभार राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र से जुड़े तथा उसका उपयोग करने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, खुले अभिगमन ग्राहक तथा अन्य प्रयोक्ताओं से वसूल किये जाने योग्य है।

राभाप्रेके निवेश एवं वित्त प्रबन्ध योजना

3.2 राभाप्रेके में निवेश 20:80 के अनुपात में साम्या तथा ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया जाना पूर्वधारित है।

सारणी 19 निवेश तथा वित्त पोषण योजना

	विव 11 (याचिका)
निवेश	
किये जाने वाला निवेश	**45**
वित्त पोषण	
ऋण	36
राज्य सरकार साम्या	9
कुल संसाधन	**45**

प. एवं सं. व्यय

3.3 प.एवं.सं. व्ययों के लिए विव–10 तथा विव 11 के लिए अनुमोदित आंकड़े तथा विव 11 के लिए प्रक्षेपण नीचे सारणी में दर्शाये गये हैं। राभाप्रेके प्रकार्य के लिए पं. एवं.सं. व्ययों हेतु निर्धारित प्रतिमानों के अभाव में विव 11 के व्यय तक पहुंचने के लिए विव 09 के पं.एवं.सं. व्ययों को 5.28 प्रतिशत से बढ़ाया गया है।

सारणी 20 राभाप्रेके के प.एवं.सं. व्यय

		विव 10 (अनुमोदित)	विव 11 (अनुमोदित)	विव 11 (प्रक्षेपित)
1	प. एवं.स. प्रभार	10	11	14

ह्रास प्रभार

3.4 विव 11 के लिए ह्रास प्रभारों का परिकलन राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 में दी गयी ह्रास की दरों पर किया गया है। ये प्रभार विव 10 तथा विव 11 के लिए अनुमत आंकड़ों की तुलना में नीचे दी गयी सारणी में प्रस्तुत है :–

सारणी 21 ह्रास प्रभार

		विव 10 (अनुमोदित)	विव 11 (अनुमोदित)	विव 11 (याचित)
1	ह्रास	0ण98	2ण75	1ण79

3.5 राविप्रनि ने अनुमान लगाया है कि सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की लगभग 15 प्रतिशत परिसम्पत्तियों 12 वर्ष से अधिक पुरानी हैं (दिनांक 1.8.09 से ब.व.रा. के भाग 4.7.7 में वर्णित सकल स्थाई परिसम्पतियों के अनुसार गणना की गयी है)। राविप्रनि ने सभी परिसम्पत्तियों की श्रेणियों में 15 प्रतिशत परिसम्पत्तियों पर 1.16 प्रतिशत ह्रास प्रभारित किया है तथा शेष पर आयोग द्वारा अनुसूची में विहित दरों पर।

ब्याज प्रभार

3.6 विव 11 के लिए राभाप्रेके हेतु ब्याज प्रभारों की विस्तृतियां नीचे दी गयी सारणी में प्रस्तुत है। ये प्रभार विव 10 तथा विव 11 के लिए अनुमत आंकडो की तुलना में नीचे दी गयी सारणी में प्रस्तुत हैं।

सारणी 22 राभाप्रेके के लिए ब्याज तथा वित्त प्रभार की विस्तृतियां

क.सं	विशिष्टियां	विव 10 (अनुमोदित)	विव 11 (अनुमोदित)	विव 11 (याचित)
1	दीर्घकालीन ऋण पूंजी पर ब्याज धटायें – पूंजीकरण	1ण15	2ण22	1ण15
2	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0ण68	0ण75	0ण96
3	**कुल ब्याज**	**1ण83**	**2ण97**	**1ण87**

राभाप्रेके परिचालन व्यय

3.7 राविप्रनि, उक्षेभाप्रेके को परिचालन तथा एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र योजना के लिए वाषिकीकृत स्थाई प्रभारों की वसूली के मद पर प्रभारों का भुगतान कर रहा है।

सारणी 23 राभाप्रेके परिचालन व्यय

		विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
1	राभाप्रेके परिचालन व्यय	13	14	17

साम्या पर प्रतिफल

3.8 जैसा कि प्रसारण प्रकार्य भाग में पूर्व में उल्लेख किया गया है, राराविप्रनिलि डिस्कॉमों की वित्तीय स्थित सुदृढ़ होने तक साम्या पर कोई प्रतिफल प्रभारित नहीं करेगा।

राभाप्रेके राजस्व आवश्यकता

3.9 राविप्रनि द्वारा राभाप्रेके के लिए विव 11 के लिए राजस्व आवश्यकता को नीचे सरणित किया गया है :—

सारणी 24 राभाप्रेके के लिए राजस्व आवश्यकता

क्र.सं	विशिष्टियां	विव 10 (अनुमोदित)	विव 11 (अनुमोदित)	विव 11 (याचित)
1	प.एवं.सं. व्यय	10ण01	11	14
2	ह्रास	0ण98	2ण75	1ण79
3	ब्याज प्रभार	1ण15	2ण22	1ण15
4	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	ण68	ण75	0ण96
5	राभाप्रेके प्रचालनीय व्यय	13	14	17
	कुल राजस्व व्यय	**25ण81**	**30ण72**	**34ण9**

राभाप्रेके व्ययों की वसूली

3.10 राराविप्रनिलि के राज्यान्तारिक प्रसारण तन्त्र से जुड़े हुये डिस्कॉमों तथा खुला अभिगमन ग्राहकों से राविविआ (टैरिफ की निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 तथा आयोग के आदेशों/निर्देशों के अनुसार मासिक प्रभार के रूप में यथा निर्धारित राभाप्रेके व्ययों की की जाने वाली वसूली नीचे दी गयी सारणी में दर्शायी गयी है :—

सारणी 25 विव 10 से विव 14 तक राभाप्रेके प्रभार

विशिष्टियां	विव 10 (अनुमोदित)	विव 11 (अनुमोदित)	विव 11 (याचित)
राभाप्रेके व्यय (करोड़ रू./वर्ष)	26ण13	30ण72	34ण9
प्रतिमाह राभाप्रेके प्रभार (लाख रू./माह)	218	256	291

अभिक्रियाशील ऊर्जा व्ययों के लिए प्रभार/भुगतान

3.11 राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 उल्लेख करता है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी भार की ओर तथा प्रसारण तन्त्र के अन्तर्सम्बन्ध से परे, जहां कहीं आवश्यक है, प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये तन्त्र अध्ययन पर आधारित पर्याप्त कैपेसीटर बैंक स्थापित करेगा तथा 0.9 से उच्च स्तर परिवेस्ट शक्ति धटक संधारित करेगा। निम्न शक्ति धटक के लिए आयोग द्वारा समय– समय पर टैरिफ आदेश निर्धारित करते समय अभिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार निर्धारित किये जायेगें।

3.12 याचिकाकर्ता आयोग से अनुरोध करता है कि 0.9 से नीचे परिवेष्टन शक्ति धटक पर अभिक्रियाशील आहरण के लिए तन्त्र शक्ति धटक में सुधार हेतु प्रभार निर्धारित करे तथापि, याचिकाकर्ता किसी प्रभार के लिए प्रस्ताव नहीं कर रहा है और आयोग से अनुरोध करता है कि उनका निर्धारण करे।

प्रार्थना

1.1 राविप्रनि माननीय आयोग से विनम्र निवेदन करता है कि –

- राविप्रनि द्वारा संचालित राभाप्रेके के लिए बहुवर्षीय नियन्त्रणावधि विव 10 से विव 14 के अन्तर्गत विव 2010–11 के लिए राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन करे।
- विव 2010–11 के लिए राभाप्रेके प्रभारों का अनुमोदन करे तथा उसकी डिस्कॉमों तथा अन्य दीर्धकालीन प्रयोक्ताओं व खुले अभिगमन ग्राहकों से वसूली अनुमत करे।
- राविप्रनिलि के अंकेक्षित लेखों के आधार पर विव 2008–09 के लिए राभाप्रेके की वाराआ के ट्रयूइंग–अप का अनुमोदन करे तथा धाटे को विव 11 की वाराआ में प्रसारण प्रभारों में अग्रेनीत किया जाना अनुमत करे।
- राविविआ टैरिफ विनियम, 2009 के अनुसार अभिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का उदग्रहण अनुमत करे।
- हमें अतिरिक्त आंकड़े तथा सूचना प्रस्तुत करने तथा/ या प्रस्तुत की गई सूचना को आशोधित करने का अनुमत करे।
- तथा प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों की ध्यान में रखते हुये अचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य तथा अग्रेतर आदेश पारित करे।

भाग – III

राविप्रनिलि – साझेदारी परियोजनाओं की बहुवर्षीय राजस्व आवश्यकता तथा उत्पादन व्ययों की वसूली

अ 4: भाग – ´´ साझेदारी परियोजनाओं के उत्पादन व्ययों की वसूली

4.1 याचिका के इस भाग (भाग – ´´) में साझेदारी परियोजनाओं के उत्पादन व्यय तथा उसकी डिस्कॉमों से साझेदारी परियोजनाओं में क्षमता नियतन के हिस्से के आधार पर वसूली आवृत है ।

साझेदारी परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता में राजस्थान का हिस्सा

4.2 चम्बल जलीय (राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा गांधी सागर को मिलाकर 50 प्रतिशत हिस्से वाली, सतपुड़ा तापीय (40 प्रतिशत हिस्सा) तथा भाब्या प्रम जलीय (भाखड़ा, देहर तथा पोंग में क्रमशः 15.22 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 58.5 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली) साझेदारी परियोजना की अधिस्थापित क्षमता में राजस्थान का हिस्सा है। परियोजनावार हिस्सा नीचे सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी – 26

साझेदारी परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता में राजस्थान का हिस्सा (मेवा)

क्र. स.	साझेदारी परियोजनायें	विव 10		विव 11	
		अधिष्ठापित क्षमता (मेवा)	राजस्थान का हिस्सा (मेवा)	अधिष्ठापित क्षमता (मेवा)	राजस्थान का हिस्सा (मेवा)
1	भाब्याप्रम (भाखरा)	1ए480	214	1ए480	214
2	भाब्याप्रम (ब्यास– देहर)	990	188	990	188
3	भाब्यप्रम (ब्यास–पौग)	396	220	396	220
4	चम्बल हिस्सा– राप्रसा, जसा, गांसा	386	191	386	191
5	सतपुड़ा विद्युत केन्द्र	313	114	313	114
	राविप्रनि योग	**3ए565**	**928**	**3ए565**	**928**

साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा उपलब्धता

4.3 राविविआ के अनुसारा भाब्याप्रम, चम्बल तथा सतपुड़ा से ऊर्जा उपलब्धता, विव 09 के लिए अनन्तिम उपलब्धता तथा विव 10 से विव 14 तक के लिए प्राक्कलित उपलब्धता नीचे सारणी में प्रस्तुत है :–

सारणी – 27 राविप्रनि के साझेदारी केन्द्रो से उपलब्धता (दलाई)

विशिष्टियां	विव–10 (प्रक्षेपण)	विव 11 (प्रक्षेपण)
भाब्याप्रम (भाखरा)	977	977
भाब्याप्रम (ब्यास– देहर)	721	721
भाब्यप्रम (ब्यास–पौग)	844	844
चम्बल हिस्सा– राप्रसा, जसा, गांसा	670	670
सतपुड़ा विद्युत केन्द्र	601	601
राविप्रनि हिस्से का योग	**3ए812**	**3ए812**

4.4 चम्बल, सतपुड़ा तथा भाब्याप्रम में राजस्थान के हिस्से का नियतन जयपुर, अजमेर तथा जोधपुर डिस्कॉमों को क्रमशः 38 प्रतिशत, 31 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत के अनुपात में किया गया है।

साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा विक्रय

4.5 राविप्रनि की साझेदारी परियोजनाओं से डिस्कॉमों को ऊर्जा विक्रय का परिकलन परियोजनाओं में राजस्थान के निवल हिस्से के रूप में किया गया है तथा भाब्या प्रभ व चम्बल– सतपुड़ा परियोजनाओं से क्रमशः साझा पूल उपभोक्ताओं तथा मप्राविम को।

अन्य राज्य तथा साझा पूल

4.6 चम्बल तथा सतपुड़ा से मध्यप्रदेश को तथा भाब्याप्रम से साझा पूल उपभोक्ताओं को प्राक्कलित विद्युत विक्रय का हिस्सा नीचे दी गई सारणी में दर्शित है :–

सारणी – 28 अन्य राज्यों तथा साझा पूल को विक्रय (दस लाख इकाइयां)

	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
अन्य राज्य व डिस्कॉम	505	505	505
साझा पूल	130	130	130
राज्य से बाहर का योग	**635**	**635**	**635**

डिस्कॉमों को नियतन

4.7 साझेदारी परियोजनाओं में राविप्रनि के हिस्से का नियतन जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम तथा जोधपुर डिस्कॉम को क्रमशः 38 प्रतिशत, 31 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत के अनुपात में किया गया है। डिस्कॉमों को ऊर्जा विक्रय का प्राक्कलन इन केन्द्रो से सकल उपलब्धता में से बाहरी विक्रय को कम करके किया गया है। डिस्कॉमों को विव 10 तथा विव 11 के लिए अनुमोदित तथा विव 11 के लिए प्राक्कलित को नीचे दर्शाया गया है :–

सारणी 29 साझेदारी परियोजनाओं से डिस्कॉम –वार ऊर्जा आपूर्ति (दस लाख इकाइयां)

	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
जयपुर डिस्कॉम	1144	1144	1144
अजमेर डिस्कॉम	1144	1144	1144
जोधपुर डिस्कॉम	890	890	890
डिस्कॉम योग	**3ए178**	**3ए178**	**3ए178**

साझेदारी परियोजना निवेश तथा वित्त प्रबन्ध योजना

4.8 साझेदारी परियोजनाओं में निवेशों का वित्त पोषण केवल साम्या द्वारा किया जाना पूर्वाधारित है :–

सारणी – 30 निवेश एंव वित्त प्रबन्ध योजना

	विव 10 (अनुमोदित)	विव 11 (अनुमोदित)	विव 11 (याचित)
निवेश			
किये जाने वाला निवेश	20	20	20
वित्त प्रबन्ध			
साम्या	20	20	20

साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा विक्रय से राजस्व

4.9 चम्बल– सतपुड़ा समष्टि से मध्यप्रदेश को ऊर्जा विक्रय से राजस्व का परिकलन सतपुड़ा तापीय विद्युत केन्द्र, गांधी सागर विद्युत केन्द्र के प्राक्कलित व्यय के आधार पर किया गया है।

4.10 विव 11 के लिए साझा पूल को विक्रय से राजस्व 205 पैसे/किवाध की दर पर तथा अन्तर्राज्यों को विक्रय 286 पैसे/किवाध की दर पर प्राक्कलित किया गया है, जो विव 11 के लिए अनन्तिम प्राक्कलनों के अनुसार है। विव 10 पर 20 प्रतिशत के वृद्वि धटक पर विचार किया गया है।

4.11 विव 11 के लिए प्राक्कलित प्रक्षेपण तथा विव 10 व विव 11 के लिए अनुमोदित तथा अन्य राज्यों (मप्राविम) तथा साझा पूल को विक्रय से राजस्व निम्नानुसार प्राक्कलित है :–

सारणी – 31 अन्य राज्यों तथा साझा पूलों को विक्रय से राजस्व

	विव 10 (अनुमोदित)	विव 11 (अनुमोदित)	विव 11 (याचित)
अन्य राज्य (मप्र)☐ एवं डिस्कॉम	136ण50	139ण23	144ण3
साझा पूल उपभोक्ता	26ण65	27ण19	26ण7
राज्य से बाहर का योग	**146**	**153**	**160**

4.12 आयोग के आदेशानुसार विव 10 तथा विव 11 के लिए साझेदारी परियोजनाओं के अनुमोदित आकड़ों तथा विव 11 के लिए प्रक्षेपण की तुलना नीचे सारणी में दी गयी है।

सारणी – 32 साझेदारी परियोजनाओं के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता

	विव 10 (आदेश)	विव 11 (आदेश)	विव 11 (याचित)
उत्पादन ईंधन लागत	139	143	143
पं.एवं.सं.	95	100	103
ह्रास	17	20	20
ब्याज तथा वित्त प्रभार	..	.	.
योग	**253**	**263**	**266**
धटायें – अन्य राज्यों व साझा पूल को विक्रय	163	166	171
राजस्व आवश्यकता	**90**	**97**	**95**
धटायें – विव 08 के लिए ट्रयू–अप	**. 10**		
वसूल किये जाने वाला निवल राजस्व	**79**	**97**	**95**

विव 11 के लिए साझेदारी परियोजनाओं के व्ययों की वसूली

4.13 डिस्कॉमों से साझेदारी परियोजना के व्ययों की वसूली का प्राक्कलन अन्य राज्यों तथा साझा पूल उपभोक्ताओं को विक्रय के माध्यम से अर्जित राजस्व, जो प्रकृति में अनभिप्रेत है, को साझेदारी परियोजना के कुल व्ययों मे से कम करके किया गया है। गणना निम्नानुसार है :–

सारणी – 33 साझेदारी परियोजनाओं के विव 11 के व्ययों की वसूली

क्र.स.	विशिष्टियां	विव 11
1	**साझेदारी परियोजनाओं के लिए उत्पादन व्यय**	**266**
2	धटायें – अन्य राज्यों/साझा पूलों को विक्रय	171

3	**डिस्कॉमों से उत्पादन लागत की वसूली**	95

प्रार्थना

4.14 राविप्रनि माननीय आयोग से विनम्र निवेदन करता है कि –

- ✸ राजस्थान के हिस्से के प्रति उपरोक्तानुसार प्रस्तुत याचिका तथा आरूपों में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर बवटै नियन्त्रणावधि विव 10 से विव 14 के अन्तर्गत 2010–11 के दौरान साझेदारी परियोजनाओं के उत्पादन व्ययों का अनुमोदन करे।
- ✸ विव 2010 के लिए डिस्कॉमों से साझेदारी परियोजनाओं के उत्पादन व्ययों की वसूली साझेदारी परियोजनाओं में उनकी हिस्सेदारी के नियतन के आधार पर अनुमत करें।
- ✸ तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उचित समझे जाने वाले ऐसे अन्य व अग्रेतर आदेश पारित करे।

अ 3: अनुलग्नकों की सूची

क.स.	विशिष्टयां	अनुलग्नक
1	पेंशन, उपादान सामान्य प्रावधायी निधि तथा उपार्जित अवकाश के प्रति राविप्रनि की स्टॉफ देयताओं के बीमांकित मूल्यांकन पर श्री पी. सी. गुप्ता, परामर्शी बीमांकित से दिनांक 15 नवम्बर, 2009 की रिपोर्ट	अनुलग्नक –'अ'
2	आयोग के निदेर्शों की अनुपालना पर रिपोर्ट	अनुलग्नक – 'ब'